उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-30/3486/26-1-2013-11(सक)/2012टीसी-1

लखनऊ : दिनांक : 29 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊफ में योजित रिट याचिका संख्या-1580(एसबी)/2013, कन्हैयालाल गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-10-2013 के क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

We have heard learned counsel for parties and perused the pleadings of writ petition.

The petition has been filed to seek a limited indulgence i.e regarding representation submitted for change of Enquiry Officer.

Learned counsel for State agrees that this writ petition can be disposed of with a direction to decide the representation within a time frame.

We, thus, dispose of the matter with a direction to disciplinary authority to decide the representation for change of Enquiry Officer within a time frame of four weeks from the date of receiving a copy of this order.

Writ petition is, accordingly, disposed of.

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में याची श्री कन्हैयालाल गुप्ता, तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी(सक)/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर (निलम्बित) द्वारा दिनांक 11-11-2013 को प्रत्यावेदन उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि उन्हें शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-09-2012 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है तथा आरोपों की जॉच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल, मेरठ को जॉच अधिकारी नामित किया गया है। याची द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल, मेरठ के स्थान पर किसी विभागीय अधिकारी को जॉच अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया था, किन्तु इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया।

3- उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं/शासकीय धनराशि का गबन किये जाने विषयक प्रश्नगत प्रकरण में याची के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-09-2012 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा सभी के विरूद्ध अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल, मेरठ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में सभी अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 09-11-2012 को आरोप पत्र निर्गत किये गये।

4- याची द्वारा जॉच अधिकारी बदलने के अनुरोध के साथ-साथ शासन को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 29-07-2013, 14-08-2013 में यह उल्लेख किया गया कि उसके द्वारा आरोपों का उत्तर जॉच अधिकारी को दिनांक 29-05-2013 को उपलब्ध करा दिया गया है, इसके बाद भी जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या प्रेषित नहीं की जा रही है तथा जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से जॉच

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी को निदेशित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में शासन द्वारा दिनांक 06-08-2013, 27-09-2013, 17-10-2013 को जॉच अधिकारी को अनुस्मारक पत्र भेजते हुए जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में जॉच अधिकारी द्वारा याची से संबंधित जॉच आख्या दिनांक 17-10-2013 को प्रेषित की गयी, जो शासन में दिनांक 21-10-2013 को प्राप्त हुई।

5- याची के अतिरिक्त अन्य अपचारी अधिकारियों से संबंधित जॉच आख्या भी जॉच अधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करा दी गयी है। इस प्रकार तीनों अपचारी अधिकारियों से संबंधित जॉच आख्याएं शासन में प्राप्त हो चुकी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि याची के अतिरिक्त अन्य दो अधिकारियों द्वारा जॉच अधिकारी बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है। इस प्रकार जॉच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 01 अपचारी अधिकारी के अनुरोध पर जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है।

तद्नुसार याची श्री कन्हैयालाल गुप्ता, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर (निलम्बित) द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने विषयक दिया गया प्रत्यावेदन दिनांक 11-11-2013 निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

के0राम मोहन राव
सचिव।

<u>पृ0सं0-30/3486(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ।
2- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर आयुक्त (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ।
5- श्री कन्हैयालाल गुप्ता, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), मुजफ्फरनगर (निलम्बित) सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in